10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

55

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– शम्भू तनय दुर्जन अहिरवार , फौत बारिसान निग0 3182-I/16

श्री श्रीमती रजनी अहिरवार द्वारा आज दि. 19/9/16 को प्रस्तुत

अ– चंदा पत्नि शम्भू तनय दुर्जन अहिरवार

ब– अखलेश अहिरवार पुत्र शम्भू तनय दुर्जन अहिरवार

2– गुबन्दी तनय दुर्जन अहिरवार, 65 साल

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-9-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

3– महिला रधिया उर्फ राधाबाई पत्नि दुर्जन अहिरवार ,

निबासी ग्राम अनंतपुरा, तह0 एवं जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

..................आवेदकगण

R.V. 19/9/16

वनाम

1– हरदयाल तनय चिमन अहिरवार

निबासी ग्राम अनंतपुरा, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.... असल अनावेदक

2– चंद्रमान तनय मंगललाल जैन ,

3– पुरूषोत्तम लाल तनय कड़ोरे लाल अग्रवाल ,

दोंनों निबासी टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

4– श्याम लाल तनय बलुआ अहिरवार ,

5– महिला मल्थू वेवा बलुआ अहिरवार,

सभी निबासी ग्राम अनंतपुरा, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.........................तरतीवी अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

राजेन्द्र पटेरिया (एड.)
हाल रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट ...
निवास 142, मनोरमा कॉलोनी, ...
मो.- 9425451002

1— यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर द्वारा प्र0क0 145/अ–6/1998–99 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 06/10/2000 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम अनंतपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 113 , एवं 116 के पूर्व भूमि स्वामी मृतक महिला भूरिया वेवा लज्जू अहिरवार थी , जो आवेदिका कमांक एक की बुंआ थी, जिसके द्वारा आवेदिका को गोद लिया गया था। जिसकी मृत्यु होने पर अपीलार्थी महिला रधिया उर्फ राधाबाई ने उक्त भूमि अपंजीकृत बिकय बिलेख के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाने बावद आवेदनपत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे तहसीलदार द्वारा बिचारण करने के उपरांत प्र0क0 5/अ63अ/91–92 में पारित आदेश दिनांक 22/06/1993 के द्वारा उपरोक्त भूमि का नामांतरण बिकय पत्र के आधार पर आवेदिका कमांक 03 के नाम पर करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे परिवेदित होकर रिस्पॉ0 कमांक एक द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष करने पर उनके द्वारा प्रकरण पुनः बिचारण बावद तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा पुनः दिनांक 25/03/1998 को आदेश पारित करके वादभूमि पर वारिसान हक में अनावेदक कमांक एक का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। जिसमें अपर आयुक्त महोदय द्वारा विधि विरूद्व आदेश पारित करके वाद भूमि का नामांतरण वारिसान हक में अनावेदक कमांक एक के नाम से करने का आदेश पारित कर दिया तथा बसीयतकर्ता के मकानों से संबंधित नामांतरण बसीयतनामा के आधार पर करने का आदेश पारित कर दिया गया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार

1— यह कि अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व इस बात को पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया गया है कि भूमि स्वामी भुरिया द्वारा अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति का बसीयतनामा आवेदकगण कमांक एक व दो के नाम से लेख किया गया था। जिसके आधार पर अपर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3182/1/2016 जिला – टीकमगढ़

तारीख पेशी	कार्यवाही तथा आदेश **शंभू अहिरवार व अन्य वनाम हरदयाल व अन्य**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-12-2016	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी, अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर द्वारा प्र0क0 145/अ–6/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 06/10/2000 के बिरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदगण के अधिवक्ता के प्रकरण की ग्राहयत पर तर्क श्रवण किये गये। निगरानी एवं उसके साथ सूची अनुसार संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदिका अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं आधारों को दुहराया है, जो निगरानी मीमों में लेख किये गये हैं। 2– आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर निगरानी करने की अनुमति तथा धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र स्वीकार किये जाते हैं। आवेदकगण के अनुसार प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम अनंतपुरा स्थित प्रकरण की वादभूमियां, पूर्व में भूमिस्वामी मृतक महिला भुरिया वेवा लज्जू अहिरवार के नाम पर थीं। जिनके द्वारा आवेदिका कमांक तीन के नाम से एक अपंजीकृत बिकय विलेख कीमती 99/– रूपया का लेख किया था तथा एक बसीयतनामा आवेदकगण कमांक एक व दो के नाम से लेख किया था। जिसमें तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के न्यायालयों में प्रकरिण लंबित रहे। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में बिबादित आदेश पारित करके भुरिया के नाम की भूमि वारिसान हक में हरदयाल के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया तथा मकानादि बसीयतनामा के आधार पर आवेदकगण के नाम से दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। जबकि रजिस्टर्ड बसीयतनामा दिनांक 21/01/1977 में भुरिया द्वारा पूरी की पूरी संपत्ति आवेदकगण कमांक एक व दो के नाम पर दर्ज	

करने का लेख किया गया था। जिसकी अपर आयुक्त द्वारा गलत बिबेचना की गई है। यदि बसीयतनामा मान्य किया था तो पूरी की पूरी भूमि आवेदकगण कमांक एक व दो के नाम पर दर्ज होना थी। जिसे निरस्त किया जाकर बसीयतनामा के आधार पर नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जाबे। सभी अधिनस्थ न्यायालयों में ना तो आवेदकगण को पक्षकार बनाया गया ना ही उन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया। जबकि बसीयतनामा आवेदकगण के पक्ष में है, जिसकी बिभिन्न न्यायालयों द्वारा बिबेचना की गई है।

3— आवेदकगण द्वारा अपनी निगरानी के साथ संलग्न प्रश्नाधीन आदेशों एवं सूची अनुसार संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिस्वामी/बसीयतकर्ता भुरिया, आवेदिका कमांक ती रधिया की बुआ थी, जिसके द्वारा आवेदिका कमांक 03 को गोद लिया गया था। जिसकी मृत्यु होने पर अपीलार्थी महिला रधिया उर्फ राधाबाई ने उक्त भूमि अपंजीकृत बिकय बिलेख के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाने वावद आवेदनपत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 5/अ6अ/91—92 में पारित आदेश दिनांक 22/06/1993 के द्वारा उपरोक्त भूमि का नामांतरण बिकय पत्र के आधार पर आवेदिका कमांक 03 के नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित किया था। जिससे परिवेदित होकर रिस्पॉ0 कमांक एक द्वारा एक अपील, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष करने पर उनके द्वारा प्रकरण पुनः बिचारण वावद तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा पुनः दिनांक 25/03/1998 को आदेश पारित करके वादभूमि पर वारिसान हक में अनावेदक कमांक एक का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे दुखित होकर आवेदिका तीन द्वारा एक अपील कमांक 57/अपील/97—98 अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसे उनके द्वारा दिनांक 18/01/1999 को निरस्त कर दी। जिसके बिरूद्व एक अपील अपर आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 06/10/2000 को आदेश पारित करके बसीयतकर्ता के नाम की वादभूमि का नामांतरण वारिसान हक में अनावेदक कमांक एक के नाम से करने का आदेश पारित कर दिया तथा बसीयतकर्ता के मकानों से संबंधित नामांतरण बसीयतनामा के आधार पर आवेदकगण एक व दो के नाम से करने का आदेश पारित कर दिया गया।

4— आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रमुख रूप से अपने तर्कों में यह आपत्ति ली गई है कि, बसीयतनामा का बिचारण करते समय आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया। वादग्रस्त पंजीकृत बसीयतनामा दिनांक 21/01/1977 के प्रथम पृष्ठ पर ही भुरिया द्वारा लेख किया गया है कि "ग्राम अनंतपुरा, तहसील टीकमगढ़ स्थित समस्त चल व अचल संपत्ति का बसीयत करती हूँ।" फिर अपर आयुक्त द्वारा किस आधार पर भूमि वारिसान हक में दर्ज करने तथा मकानादि बसीयतनामा के आधार पर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया स्पष्ट नहीं है।

5— मेरे द्वारा प्रकरण के साथ संलग्न सभी आदेशों का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त संभाग द्वारा अपने आदेश दिनांक 06/10/2000 के पैरा 09 के अंत में लेख किया है कि " मृतक भुरिया ने अपीलार्थी रधिया के दो पुत्रों के नाम रजिस्टर्ड बसीयतनामा संपादित किया है, जिसे कृषिभूमि का न होकर मृतक भुरिया के मकानों से संबंधित होना दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है"। ....."अतः मेरे मत में अपीलार्थी रधिया के पुत्रों के वादग्रस्त मकान को छोड़कर शेष बची हुई भूमि पर उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के तहत हरदयाल ही मृतक ललंजू एवं उसके भाई चिमना ,तथा मृतक भुरिया की शेष बची हुई भूमि का एक मात्र वारिस है। जिसके अनुसार वारसान हक में नामांतरण शेष बची हुई भूमियों में किया जाबे।" इसी प्रकार अंतिम पैरा में लेख किया है कि "अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा बसीयतनामा को कूटरचित माना है, मैं उनके मत से सहमत नहीं हूँ"। जबकि आगे सभी आदेश यथाबत रखे गये हैं। इस प्रकार अपर आयुक्त का आदेश अपने आप में ही बिरोधाभाषी है। क्योंकि रजिस्टर्ड बसीयतनामा दिनांक 21/01/1977 में भुरिया द्वारा पूरी संपत्ति आवेदकगण कमांक एक व दो को बसीयत की है ना कि मकान आदि। इस कारण भुरिया की पूरी संपत्ति बसीयतनामा के आधार पर अपीलार्थीगण कमांक एक व दो के नाम से आना चाहिये थी। उपरोक्त बसीयतनामा उभयपक्षों को स्वीकार भी है, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा जो बसीयतनामा के आधार पर मकान आदि आवेदकगण के नाम से दर्ज करने का आदेश पारित किया है, उसकी हरदयाल या अन्य किसी के द्वारा अपील निगरानी आदि नहीं की गई है। अपर आयुक्त द्वारा बसीयतनामा में लेख की गई संपूर्ण सपत्ति के स्थान पर मात्र मकान आदि मानकर त्रुटि की है। संपूर्ण सुनवाई में आवेदकगण हितबद्ध होते हुये भी उन्हें ना

तो पक्षकार बनाया गया है ना ही साक्ष्य एवं सुनावई का अवसर प्रदान किया गया है। जिस कारण भी प्रश्नाधीन सभी आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायलाय अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/10/2000 एवं उससे संबंधित सभी अन्य अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की वादभूमि का नामांतरण भूरिया द्वारा लेख रजिस्टर्ड बसीयतनामा दिनांक 21/01/1977 के आधार पर आवेदकगण कमांक एक व दो के नाम पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज कीं जाबे। संबंधित सूचित हों, प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो ।

सदस्य